

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन,
ततपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।

// आदेश //

भोपाल, दिनांक. 7/8/09

क्रमांक 1343/322/आउशि/छात्रवृत्ति/2009, मध्य प्रदेश शासन उच्च

शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शासन के अध्यक्षनरत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति वर्ग के छात्र / छात्राओं को पो. स्व. डो. गोप कार्य हेतु स्वीकृत छात्रवृत्ति के नवोनीकरण के प्रावधान के तहत वर्ष 2008-09 के लिए नवोनीकरण किया गया था। नवोनीकरण छात्रवृत्ति को राशि के भुगतान हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 150 / 322 / आउशि / छात्रवृत्ति / 2009 दिनांक 20.03.09 के द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई थी। इसके अनुरात दो शोधार्थियों को राशि रु. 96,000/- प्रति शोधार्थी की दर से आबंटन किया जाना था। कार्यालयीन मुद्रित से केवल एक ही शोधार्थी के लिए आबंटन गया। पित कारण से एक शोधार्थी कुं. लवीना निनामा, गोप केन्द्र मध्य भारत हिन्दो ताहित्थ तमोति इन्दौर को भुगतान नहीं हो सका।

अतः अब पुनः कुं. लवीना निनामा, गोप केन्द्र मध्य भारत हिन्दो ताहित्थ तमोति इन्दौर के लिए वर्ष 2008-09 को नवोनीकृत छात्रवृत्ति को राशि रु. 96,000/- भुगतान करने को अनुमति स्तद द्वारा प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय त्त 2009-10 के लिए निम्नलिखित शोध में विकलनीय होगा।

अनुसूचित जन जाति

आयोजनेत्तर वर्ष - 2009-10

मांग सं.-41-2202 तामान्य शिक्षा, 103

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, 103, तरकारो कालेज और तंत्यामें 8855

पो. स्व. डो. अध्यक्षनरत विधार्थियों को तहाबता -41-

छात्रवृत्ति एवं वृत्तिर्थां

0102-41-002

उपर्युक्त राशि के भुगतान करने से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्र. 150/322/आउशि/छात्रवृत्ति/09 दिनांक 20.03.09 के अनुरात रहेंगे।

Arjun
आयुक्त

उच्च शिक्षा म.प्र. शासन,

पृष्ठांकन पत्र क्र. 1344/322/आउशि/छात्रवृत्ति/09, भोपाल, दिनांक. 7/8/09

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर म.प्र.।
- 2 क्षेत्रीय अतिरिक्त तंवालक, उच्च शिक्षा इन्दौर-उज्जैन तम्मान इन्दौर म.प्र.।
- 3 कोषालय अधिकारी, कोषालय इन्दौर म.प्र.।
- 4 जन तयिप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर म.प्र.।
- 5 नियुक्त तंवालक [बजट] उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, ततपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।

✓ (6)

विशेष अधिकारी (आयुक्त) उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, ततपुडा भवन, भोपाल, म.प्र.।